



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश मीना RAS)

डिक्री मुकदमा इब्तादाई (ओ. 20 रूल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

वादी

प्रतिवादीगण

1. छीतर पुत्र रामलाल आयु 28 वर्ष
जाति बैरवा निवासी बैरवा मौहल्ला
सांखश्योपुरी तहसील बस्सी जिला
जयपुर।

1. रामलाल पुत्र मोहन
2. मुकेश पुत्र रामलाल
3. सुनिता पुत्री रामलाल
4. छोटा पुत्री रामलाल
5. संतोष पुत्री रामलाल
6. ममता पुत्री रामलाल
समस्त जातियान बैरवा समस्त निवासीयान बैरवा
मौहल्ला सांखश्योपुरी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक बस्सी तहसील बस्सी।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री मांगीलाल चौधरी, एड0 वादी।
श्री अजयपाल मीणा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 ता 6

पर्चा डिक्री

जी.सी.एम.एस. न0 2023/150

मुकदमा न0 51/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हमारे वादी व

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू हमारे मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिक्री दी जाती है कि दावा वादी बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 169/152 रकबा 3.0348 हैक्टेयर
ग्राम सांखश्योपुरी, पटवार हल्का सिन्दोली, भू.अभि. नि. क्षेत्र फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में
से वादी को अपने पिता रामलाल पुत्र मोहन के हिस्सा 1/3 में से दर हिस्सा 1/7 का खातेदार
काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उक्तानुसार खातेदारी दर्ज किया जाना एवं
आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्द किया जाता है। तदानुसार तहसीलदार बस्सी राजस्व रिकॉर्ड में अमद दरामद की कार्यवाही
करे। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(ओम प्रकाश मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

